

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान नया नाम निर्मल भारत अभियान।
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— पंचायती राज विभाग, मुजफ्फरनगर।
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
4. कार्यालय का पता— कक्ष संख्या 102, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, विकास भवन मुजफ्फरनगर।
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2621827
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— जनपद में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2003-04 से संचालित है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नया नाम माह— जून 2012 से निर्मल भारत अभियान हो गया है।
7. योजना की समाप्ति की तिथि— योजना की समाप्ति का सम्भावित समय वर्ष 2022 है।
8. योजना का प्रकार— केन्द्रीय/राज्य अनुदान राशि यदि कोई हो— 4600/- (जिसमें केन्द्रांश 3200 रु, राज्यांश 1400 रु) प्रति शौचालय।
9. योजना का संक्षिप्त विवरण—

निर्मल भारत अभियान

(पंचायती राज विभाग—मुजफ्फरनगर)

केन्द्र वित्त पोषित कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय की ईकाई लागत अंकन 10900 रु, जिसमें केन्द्रांश 3200 रु, राज्यांश 1400 रु, लाभार्थी अंश 900 रु तथा मनरेगा अंश 5400 रु है।

- निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कराये गये बेसलाईन सर्वे के अनुसार :-

Total number of Households (HHs) in District:			3,40,272	
S. No.	District	Total Households	Households with toilet	Households without toilet
1	2	3	4	5
1	Muzaffarnagar	340272	191614	148658

उक्तानुसार जनपद में शौचालय विहीन कुल 148658 परिवारों में से 145243 परिवार निर्मल भारत अभियान की पात्रता के अन्तर्गत आते हैं तथा शेष 3415 शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय का निर्माण लाभार्थी को प्रेरित कर स्वयं के संसाधनों से कराया जाना है। इस प्रकार कुल 145243 व्यक्तिगत शौचालयों हेतु निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत 4600 रु प्रति शौचालय की दर से कुल 6681.178 लाख रु की आवश्यकता होगी।

10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु पात्र परिवार :-

➤ शौचालय विहीन बी0पी0एल0 परिवार।

➤ शौचालय विहीन ए0पी0एल0 परिवार, जो निम्न पात्रताओं के अन्तर्गत आते हैं :-

- ✓ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
- ✓ लघु व सीमांत किसान
- ✓ भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- ✓ विकलांग व्यक्ति
- ✓ वैसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हों

11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये हैं- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमांत किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0
 12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया- जिला स्तर पर कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर, जिला परियोजना समन्वयक, विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0), ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत से सम्पर्क करें।
 13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान- जिला स्तर पर कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर, जिला परियोजना समन्वयक, विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0), ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत से सम्पर्क करें।
 14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क-कोई शुल्क नहीं।
 15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ लगाने वाले आवश्यक संलग्नकों का विवरण- पात्रताओं के अनुरूप शासन द्वारा मान्य प्रमाणपत्र।
- शौचालय विहीन बी0पी0एल0 परिवार।
- शौचालय विहीन ए0पी0एल0 परिवार, जो निम्न पात्रताओं के अन्तर्गत आते हैं :-
- ✓ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
 - ✓ लघु व सीमांत किसान
 - ✓ भूमिहीन खेतिहर मजदूर
 - ✓ विकलांग व्यक्ति
 - ✓ वैसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हों
16. यदि आवेदन आनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस-
 17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम- 0131-2621827, जिला परियोजना समन्वयक (निर्मल भारत अभियान)।
 18. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल-कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम- 0131-2621827, जिला परियोजना समन्वयक (निर्मल भारत अभियान)।
 19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस- <http://tsc.gov.in>

(महेन्द्र सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।